न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा,जिला–बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 02/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/240

अपीलार्थी	बनाम	उतरदातागण
झम्मुदेवी पत्नि जैसाराम जाति भील निवासी मंडापुरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1. ग्राम पंचायत मेवानगर जरिए सरपंच 2.अणची पत्नि बाण्डाराम 3.आम्बाराम पुत्र बाण्डाराम 4.बीजाराम पुत्र बाण्डाराम 5.सुजाराम पुत्र बाण्डाराम 6.लीलादेवी पुत्री बाण्डाराम 7.कानाराम पुत्र नेनिया जाति भील निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 610 जो सरपंच ग्राम पंचायत मेवानगर द्वारा आदेश दिनांक 08.05.2025 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1.श्री अचलाराम थोरी,अधिवक्ता अपीलार्थी
2.उतरदाता एकपक्षीय।

आदेश

दिनांक 24/09/2025

1.संक्षिप्त में अपील के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम शोभावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 139/50 रकबा 1.10 बीघा भूमि बाण्डाराम,कानाराम पिसरान नेनाराम कौम भील की खातेदारी मे अवस्थित थी। तत्कालीन खातेदारान द्वारा अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए विवादित भूमि का जरिए बेचान अपीलार्थी को किया गया और उक्त बेचान के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष मे नामान्तकरण पारित किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया गया। विवादित भूमि को बेचान किए बिना ही रेकर्ड से अपीलार्थी का नाम हटाया जाकर उतरदाता संख्या 2 से 6 के हकपूर्वाधिकारी बाण्डाराम व उतरदाता संख्या 07

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

के नाम रेकर्ड मे पुनः इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात बाण्डाराम के फौत होने पर उसके वारिसान उतरदाता संख्या 2 से 6 के पक्ष मे आलोच्य नामान्तकरण भी पारित कर दिया गया,जो कि नियम से परे जाकर आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को आलोच्य नामान्तकरण की जानकारी होने के अन्दर मयाद ही अपील श्री न्यायालय मे पेश की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त करते हुए अपीलार्थी का नाम दायर करवानें हेतु अपील पेश की गई।

2.अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदाता को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। उतरदाता के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। अधिवक्ता श्री भगवतसिंह राठौड़ द्वारा उतरदाता संख्या 2,3 व 5 से 7 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। उतरदाता अधिवक्ता को जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किया गया और न ही निर्धारित सुनवाई पर उपस्थित होने के कारण उतरदाता के विरूद्व एकक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम शोभावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 139/50 रकबा 1.10 बीघा भूमि उतरदाता संख्या 2 से 6 के हकपूर्वाधिकारी बाण्डाराम व उतरदाता संख्या 07 की संयुक्त खातेदारी भूमि मे अवस्थित थी। जिसमे 1/2 हिस्सा बाण्डाराम व 1/2 हिस्सा कानाराम का था। बाण्डाराम व कानाराम द्वारा अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए विवादित भूमि का बेचान जरिए विक्रय–पत्र दिनांक 01.10.2020 को किया गया और वक्त खरीद विवादित भूमि का कब्जा अपीलार्थी को सुपुर्द किया गया। उक्त विक्रय–पत्र के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष मे नामान्तकरण संख्या 527/09.10.2020 को स्वीकृत किया गया,और राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद भी किया गया। अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि का बेचान भी नही किया गया,इसके उरांत भी आन–लाईन सेग्रीगेशन कार्य के दौरान विवादित भूमि मे अपीलार्थी का नाम हटाया जाकर रेकर्ड मे पूर्व की स्थिति बाण्डाराम व कानाराम दर्ज किया गया,जबकि ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था। इसके पश्चात बाण्डाराम के फौत होने पर उसके वारिसान उतरदाता संख्या 2 से 6 के पक्ष मे आलोच्य नामान्तकरण भी पारित कर दिया गया,जो कि नियमो से परे जाकर आदेश पारित किया गया है। उक्त अवैध प्रविष्टि के आधार पर उतरदाता संख्या 2 से 7 विवादित भूमि को बेचान करने पर उतारू है,यदि इसमे सफल हो गए तो अपीलार्थी के अपील का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। अपीलार्थी को उक्त अवैध नामान्तकरण पारित होने की जानकारी के भीतर अन्दर मयाद अपील पेश की गई है। अंत मे निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य नामान्तकरण संख्या 610 आदेश दिनांक 08.5.2025 को अपास्त किया

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जाकर अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के आदेश किए जावे।

4.हमने अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 610 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। अपीलार्थी की अपील अन्दर मयाद पेश किए जाने के कारण मयाद के बिन्दु पर विवेचन किए जाने की आवश्यकता नही है। जिसमें पाया कि विवादित भूमि के तत्कालीन खातेदार उतरदाता संख्या 2 से 6 के हकपूर्वाधिकारी बाण्डाराम व उतरदाता संख्या 07 कानाराम द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 139/50 रकबा 1.10 बीघा भूमि का बेचान अपीलार्थी के पक्ष मे दिनांक 01.10.2020 को किया गया,जो कि बेचानपत्र की छायाप्रति अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त बेचानपत्र के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष मे नामान्तकरण संख्या 527/20.10.2020 स्वीकृत किया गया,जो कि नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त नामान्तकरण के आधार पर विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2077–2080 मे अपीलार्थी की खातेदारी प्रविष्टि इन्द्राज हुए,जो जमाबंदी छायाप्रति अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार अपीलार्थी विवादित भूमि की खातेदार होने के उपरांत भी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए उसकी खातेदारी प्रविष्टि को विलोपित कर दिया गया और रेकर्ड मे पूर्व की स्थिति बहाल की गई,जो कि अपीलार्थी के हितो के साथ कुठराधात किया गया है। तत्पश्चात बाण्डाराम के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम आलोच्य नामान्तकरण भी पारित कर दिया गया,जो कि नियमो से परे जाकर आदेश पारित किया गया है,क्योकि ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार उतरदाता संख्या 1 को नही था,इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य है। इसके उपरांत उतरदाता द्वारा अपना अधिवक्ता मुकर्रर किया गया था,लेकिन उनके अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब पेश नही किया गया और निर्धारित सुनवाई तारीख पर उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। इस प्रकार समग्र विवेचन से यह भली भांति स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण अपास्त योग्य है और अपीलार्थी अपने पक्ष में नामान्तकरण पारित करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत मे अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मेवानगर के नामान्तकरण संख्या 610 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत मेवानगर के आदेश दिनांक 08.05.2025 को अपास्त कर,प्रकरण इन निर्दशो के साथ

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व अपील संख्या 02/2025
अम्मूदेवी बनाम ग्रा.प.मेवानगर जरिए
सरपंच वगैरा

तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है,कि अपीलाधीन भूमि में इससे पूर्व की रेकर्ड स्थिति की बहाली करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें।

(अशोककुमार) 24/09/2025
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24/9/2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी 24/09/2025
(एस.डी.ओ.)बालोतरा